न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 18/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री महेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल एफबीओ मैसर्सः— सुरेश कुमार महेश कुमार, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा।
2. श्रीमति आशा रावत पताः— 7, सीकर हाउस कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैसर्स रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82, मंगलम इण्डस्ट्रीयल एरिया, जैतपुरा जयपुर।
3. श्री चिराग रावत पताः— 7, सीकर हाउस, कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैसर्स रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82, मंगलम इण्डस्ट्रीयल, एरिया, जैतपुरा, जयपुर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 3 स्वयं उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: आदेश :—

दिनांकः— 01.8.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 20.11.2017 को दोपहर 02:30 बजे मैसर्स— सुरेश कुमार, महेश कुमार, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई, तहसील बसवा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री महेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान पर 20 मूल पैक टीन 15 किलोग्राम वजन में पैक रिफा. सोयाबीन तेल (चिरायु) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे में मिलावट का शक होने एक मूल पैक टीन को खोलकर नमूने की जॉच हेतु 1600 ग्राम रिफा. सोयाबीन तेल (चिरायु) खरीदा। जिसकी कीमत 133 रू नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है कि खरीदशुदा रिफा. सोयाबीन तेल (चिरायु) को चार साफ सूखी एवं कांच की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर बोतल को एयरटाइट ढक्कन से बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलो पर चिपकाकर बोतलो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर किनारो

न्याय निणय अधिकारी एव
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1814 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडो में चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 21.11.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.11.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 22.11.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ रिफा. सोयाबीन तेल (चिरायु) के नमूने की जांच रिपोर्ट जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2721/एक्ट/2017/2793 दिनांक 06.12.2017 व निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला (भारत सरकार) पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या सीएफएल/डीओ–41/210/2018 दिनांक 03.03.2018 डी.ओ व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। उक्त दोनो जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफा. सोयाबीन तेल (चिरायु) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी सं0 1 व 3 नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी फर्म सुरेश कुमार, महेश कुमार ने रूक्मणी इण्डस्ट्रीज जैतपुरा जयपुर से माल खरीदा था। हम जिस प्रकार पैक माल आता है उसी प्रकार हम बेच देते है। अतः निवेदन है कि हमे दोषमुक्त किया जावे। अप्रार्थी सं0 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी फर्म रूक्मणी इण्डस्ट्रीज जैतपुरा जयपुर चिरायु सोया रिफाइण्ड तेल का विक्रय करती है। हमारे द्वारा इसमे किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। इस ब्राण्ड में **BEST BEFORE**(लेबल की भाषा) में लिखने की गलती के कारण इसे मिसब्राण्ड बताया गया है। हमने चिरायु सोया ब्राण्ड का नया काम शुरू किया है। नियमों की जानकारी के अभाव में

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

हमारे द्वारा गलती हो गई थी। इस गलती को हमारे द्वारा सही कर लिया गया है, आगे से इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। अतः निवेदन है कि प्रकरण में कम से कम जुर्माना करने का श्रम करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2721/एक्ट/2017/2793 दिनांक 06.12.2017 व निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला (भारत सरकार) पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या सीएफएल/डीओ–41/210/2018 दिनांक 03.03.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफा. सोयाबीन तेल (चिरायु) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ रिफा. सोयाबीन तेल (चिरायु) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 श्रीमति आशा रावत 7, सीकर हाउस कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैसर्स रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82, मंगलम इण्डस्ट्रीयल एरिया, जैतपुरा जयपुर एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 श्री चिराग रावत 7, सीकर हाउस, कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैसर्स रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82, मंगलम इण्डस्ट्रीयल, एरिया, जैतपुरा, जयपुर पर कुल 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 01.8.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.8.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः– 01.8.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/10440–10444
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री महेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल एफबीओ मैसर्सः– सुरेश कुमार महेश कुमार, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा।
4. श्रीमति आशा रावत पताः– 7, सीकर हाउस कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैसर्स रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82, मंगलम इण्डस्ट्रीयल एरिया, जैतपुरा जयपुर।
5. श्री चिराग रावत पताः– 7, सीकर हाउस, कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैसर्स रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82, मंगलम इण्डस्ट्रीयल, एरिया, जैतपुरा, जयपुर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

खाद्य निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा